संख्याः 195/33–3–2015–110/2012

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 06 फरवरी, 2015

विषयःस्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत वर्ष में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 से संचालित निर्मल भारत अभियान में कतिपय संशोधन करते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन प्रारम्भ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के निम्नवत् दो घटक हैं–

(1) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

(2) स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)

योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 3827/33–3–99–227/99 दिनांक 21 फरवरी, 2000 को अवक्रमित करते हुए योजना के क्रियान्वयन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नांकित मार्गनिर्देश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1.(अ) लक्ष्यः वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति।

1.(ब) उद्देश्यः

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः

1.1 स्वच्छता, साफ–सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने का बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।

1.2 दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना।

1.3 जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता और आदतें अपनाकर समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।

1.4 पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

1.5 जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ–सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणालियों पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

2. कार्यनीति (Strategy)

चूंकि "स्वच्छता" राज्य का विषय है, अतः राज्य विशेष की परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए, "स्वच्छ भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य को पर्याप्त स्वतंत्रा प्रदान की गयी है। स्वच्छता को राज्य का विषय (State Subjects) बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मिशन मोड में कार्य करना है, जिसके अन्तर्गत जनपदों को कार्यक्रम क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क तैयार कर निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना है।

योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य किया जायेगाः–

2.1 आयोजना चरण

2.2 कार्यान्वयन चरण

2.3 स्थायित्व चरण

उपरोक्त चरणों हेतु विधिवत कार्ययोजना जनपदों द्वारा तैयार की जायेगी, जिसका क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर अन्तर्वैयक्ति सम्पर्क करने, क्षमता वृद्धि करने तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु "स्वच्छता दूत" तैनात किये जायेंगे जो ग्राम पंचायत स्तर सफाई कर्मी, आशा, आंगबाड़ी कार्यकत्री, महिला समूह, समुदाय आधारित संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह, पम्प आपरेटर आदि हो सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अथवा दो व्यक्तियों को निगरानी समिति के रूप में तैयार कर जागरूकता फैलाने तथा शौचालयों का स्थायी रूप से उपयोग करने का दायित्व दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों का क्षमता संवर्धन किया जाना आवश्यक है।

नोडल विभाग

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) कार्यक्रम का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व की भॉति पंचायतीराज विभाग नोडल विभाग होगा।

3. कार्यान्वयन (Implementation)

3.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु जनपद आधार (District as a base unit) इकाई मानी जायेगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर विस्तृत योजना बनवाकर मिशन की सफलता सुनिश्चित की जायेगी।

3.2 जनपद द्वारा तैयार परियोजना प्रस्ताव को राज्य स्तर पर संकलित कर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त परियोजना प्रस्ताव आगामी 5 वर्षो के लिए तैयार किया जायेगा तथा परियोजना प्रस्ताव के अनुसार 5 वर्षो की वार्षिक कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश की विस्तृत गाइडलाइन्स एवं माइलस्टोन के अनुसार, मिशन अन्तर्गत विभिन्न घटकों, यथा–आई.ई.सी.,बी.सी.सी., अनुश्रवण, निर्माण इत्यादि समस्त गतिविधियां सम्पन्न करायी जायेंगी।

3.3 ग्रामीण समुदाय के व्यवहार परिवर्तन हेतु करायी जाने वाली प्रारम्भिक आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पहुचकर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)के उद्देश्यों एवं स्वच्छता से होने वाली विभिन्न लाभों तथा खुले में शौच से मुक्त करने हेतु लोंगो को प्रोत्साहित किया जायेगा। उक्त हेतु महिलाओं को उनकी अस्मिता एवं निजता हेतु भी जागरूक किया जायेगा तथा लक्षित आबादी को शौचालयों के विभिन्न तकनीकी मॉडल एवं लागत इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। उक्त के लिए सरकारी प्रतिनिधि जैसे स्वच्छता दूत/आशा/ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकत्री/स्वयं सेवी संस्थाओं तथा पंचायतीराज व्यवस्था का सदुपयोग किया जायेगा।

3.4 स्कूली बच्चों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छता का संदेश फैलाने हेतु जागरूक किया जायेगा।

3.5 लाभार्थियों द्वारा आवश्यकतानुसार दो गड्ढ़े वाले जलबन्द शौचालय को अन्य उच्च तकनीकी में अपग्रेड किया जा सकता है।

3.6 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एन.आर.एल.एम.) के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी), विकास खण्ड/जनपद स्तरीय स्वयं सहायता समूहों का उपयोग कर अभियान की सफलता सुनिश्चित की जायेगी। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड का उपयोग किया जा सकता है तथा स्वयं सहायता समूहों का उपयोग ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र (रूरल सेनेट्री मार्ट(आर.एस.एम.) के रूप में किया जा सकता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा आर.एस.एम. हेतु फण्डिंग स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत किया जायेगा।

3.7 योजनान्तर्गत सर्वप्रथम राज्य/जनपद की मुख्य नदियां जैसे, गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा इत्यादि के किनारे बसी ग्राम पंचायतों को लक्षित कर प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित/संतृप्त किया जायेगा।

3.8 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण

इत्यादि के अनुश्रवण हेतु एक Robust Monitoring System की व्यवस्था की जायेगी, जिसके द्वारा योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

3.9 रैपीड एक्सन लर्निंग यूनिट (RALU) की व्यवस्था कर योजना का त्वरित गति से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.10 सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर शौचालय निर्माण द्वारा संतृप्त कराया जायेगा।

4. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के घटक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के महत्वपूर्ण घटक तथा क्रियाकलाप निम्नवत् हैं:–

4.1 आरंभिक क्रियाकलाप (Start-up Activity)

a) **बेसलाइन सर्वे**: स्वच्छता की अद्यतन स्थिति का आकलन करने के लिए लाभार्थीवार प्राथमिक सर्वेक्षण करना।

b) जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मिकों का प्रबोधन कर जनपद की कार्ययोजना तैयार करना।

c) राज्य योजना तैयार करना।

आरम्भिक क्रियाकलाप अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि आई0ई0सी0 मद से की जायेगी।

4.2 सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आई0ई0सी0) गतिविधियाँ (IEC Activity)

4.2.1 सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार–परिवर्तन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, स्कूलों, आंगबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधाओं, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की मांग पैदा करना है। इस घटक के अन्तर्गत कराये जाने वाले क्रियाकलाप क्षेत्र विशिष्ट होंगे और ग्रामीण आबादी के सभी वर्गो को ध्यान रखते हुए तैयार किया जायेगा। आई0ई0सी0 केवल एक बार की जाने वाली क्रिया कलाप नहीं है। निर्माण को बढ़ावा देने वाली मांग सृजन को शामिल करने के लिए आई0ई0सी0 कार्यनीति और योजना तैयार कर उसका इस्तेमाल किया जायेगा। आई0ई0सी0 क्रियाकलाप सभी स्तरों अर्थात जनपद, विकास खण्डों तथा ग्राम पंचायतों में चलाए जायेंगे।

4.2.2 शौचालय का उपयोग कर ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन करने हेतु ट्रिगरिंग गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। जनपद में उपलब्ध मैन पावर, संचार, तकनीकी एवं मीडिया के माध्यम से स्वच्छता के संदेशों को प्रसारित किया जाय।

4.2.3 अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण, घर–घर सम्पर्क तथा ट्रिगरिंग जैसे कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद अपने स्तर से अन्य प्रभावी गतिविधियों का भी चयन कर सकते हैं।

4.2.4 मीडिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता के संदेशो का प्रचार–प्रसार करने के लिए संचार के अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

4.2.5 जनपद स्तरीय आई0ई0सी0 कार्ययोजना बनाते समय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध नेशनल सैनीटेशन एण्ड हाईजिन एडवोकेशी एण्ड कम्यूनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क 2012–17 का प्रयोग लिया जा सकता है।

4.2.6 जनपद अपने स्तर से आई0ई0सी0 प्लान बनाकर वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करेगें। क्षेत्रीय स्वयं सेवी संगठनों का उपयोग अर्न्तवैयक्तिक सम्प्रेषण, प्रेरकों का चयन तथा ट्रिगरिंग जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है।

4.2.7 विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, एजेन्सियों को आई0ई0सी0 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि जनपद स्तर पर आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध धनराशि से दिया जा सकता है।

4.2.8 स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने हेतु खुले में शौचमुक्त के अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ठ पर भी कार्ययोजना बनानी होगी।

4.2.9 आई0ई0सी0 के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय, आम नागरिकों के साथ शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को साफ–सफाई संबंधी शिक्षा देने के लिए की जा सकती है।

4.2.10 आई0ई0सी0 मद में केन्द्र द्वारा परियोजना लागत की 8 प्रतिशत धनराशि का मात्राकृत किया गया है जिसमें 3 प्रतिशत केन्द्र तथा 5 प्रतिशत राज्य हेतु मात्राकृत किया गया है।

(i). राज्य स्तर पर मात्राकृत 5 प्रतिशत धनराशि में से 4 प्रतिशत धनराशि आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु तथा 1 प्रतिशत धनराशि क्षमता निर्माण हेतु मात्राकृत की गयी है।

(ii).राज्य स्तर पर आई0ई0सी0 हेतु मात्राकृत धनराशि में से 3.75 प्रतिशत धनराशि जनपद में ग्राम पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर आई0ई0सी0/ बी0सी0सी0/आई0पी0सी0 की गतिविधियों संचालित करने हेतु तथा 0.25 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय गतिविधियों हेतु राज्य स्तर पर व्यय की जायेगी।

(iii).राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु मात्राकृत 1.00 प्रतिशत धनराशि में से 0.75 प्रतिशत जनपद स्तर पर तथा 0.25 प्रतिशत राज्य स्तर पर व्यय की जायेगी।

4.2.11 किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को माहवारी के समय अस्वच्छता से होने वाली समस्याओं तथा उनके निदान के बारे में जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 मद से धनराशि व्यय की जा सकेगी।

4.2.12 राज्य स्तर पर होने वाली आई0ई0सी0 तथा क्षमता निर्माण गतिविधियाँ "स्टेट सैनीटेशन मिशन" की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त की जायेंगी।

5. क्षमता निर्माण (Capacity Building)

5.1 इस घटक के अन्तर्गत जल प्रबन्धन समिति वीडब्ल्यूएससी तथा पंचायतीराज संस्था के सदस्यों, विकास खण्ड तथा जनपद स्तरीय कर्मियों और बुनियादी स्तर के कर्मियों जैसे स्वच्छता दूत, आशा और अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा तथा इनसे संबंधित कर्मियों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों इत्यादि को प्रशिक्षित किया जायेगा। स्वयं सहायता समुहों को जागरूकता बढ़ाये जाने वाले क्रिया कलापों के रूप में

राजमिस्त्री संबंधी काम, टॉयलेट पैन इत्यादि बनाने तथा नल मिस्त्री इत्यादि से संबंधित काम इत्यादि का प्रशिक्षण किया जायेगा।

5.2 राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों, रिसोर्स सेन्टर/की–रिसोर्ससेन्टर, जिला रिसोर्ससेन्टर एवं स्वयंसेवी संस्था तथा अनुभवी एजेन्सियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जा सकता है।

5.3 क्षमता विकास का वित्त पोषण भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। क्षमता विकास हेतु राज्य हेतु मात्राकृत 1.00 प्रतिशत में से 0.75 प्रतिशत जनपद स्तर से तथा 0.25 प्रतिशत की धनराशि राज्य स्तर से व्यय की जायेगी।

6. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण(Construction of Individual Household Latrines)

6.1 विधिवत पूर्ण पारिवारिक स्वच्छ शौचालय में एक उप ढॉचा (Substructure) के साथ ऊपरी ढॉचा (Super Structure) होगा। सब–स्ट्रक्चर वाले भाग में पैन, गड्ढे इत्यादि का निर्माण तथा सुपर–स्ट्रक्चर वाले भाग में शौचालय, दीवार, छत, दरवाजा तथा सफाई एवं हाथ धोने हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। शौचालय निर्माण हेतु विभिन्न सुरक्षित तकनीकी, जैसे दो गड्ढे वाला जलबंध शौचालय, सैप्टिक टैंक, बायो टॉयलेट इत्यादि जैसी सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है।

6.2 योजना के तहत दिया जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन समस्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों(बी0पी0एल0) के साथ साथ ए0पी0एल0 अन्तर्गत समस्त अनुसूचित जाति/जनजातियों, लघु तथा सीमान्त किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जायेगा।

6.3 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना अन्तर्गत निर्मित कराये जाने वाले व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण की इकाई लागत रू. 12000/–निर्धारित की जाती है, जिसमें से केन्द्रांश रू. 9000/–(75 प्रतिशत) तथा राज्यांश रू. 3000/–(25 प्रतिशत) होगा। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थी स्वयं अथवा ग्राम पंचायत की एजेन्सी की सहायता से अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से करा सकता है। स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में जिला स्वच्छता समिति आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है। लाभार्थी द्वारा स्वयं शौचालय निर्मित कराने की दशा में ग्राम पंचायत धनराशि का नकद भुगतान लाभार्थी को दो किश्तों में करेगी– प्रथम किश्त की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किश्त की धनराशि शौचालय निर्माण पूर्ण होने व उसका उपयोग प्रारम्भ करने पर दी जायेगी।

6.4 ऐसे ए0पी0एल0 परिवार जो प्रोत्साहन धनराशि के माध्यम से आच्छादित नहीं किये गये हैं, उन ए0पी0एल0 परिवारों को स्वयं शौचालय बनाने हेतु जनपद की परिक्रामी निधि से सहायता दी जा सकती है अथवा नाबार्ड, बैंक और वित्तीय संस्थाओं से किफायती वित्त पोषण के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। इस संबंध में जिला स्वच्छता समिति आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है।

6.5 केन्द्र/राज्य सरकार की समस्त आवासीय योजनाओं को अनिवार्य रूप से शौचालय सुविधा हेतु चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर उनमें शौचालय निर्माण सुनिश्चित कराया जायेगा। जब तक इन्दिरा आवास के लाभार्थियों हेतु शौचालय निर्माण के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी नहीं होते, तब तक इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत ही शौचालय सुविधा से आच्छादित किया जायेगा।

6.6 जो लाभार्थी स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत पात्र नहीं हैं, उन्हें आई0ई0सी0 के माध्यम से जागरूक कर शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.7 सिर पर मैला ढोने में रोजगार का प्रतिबंध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के पैरा 2.(1)(ड) में यथा परिभाषित "अस्वच्छ शौचालय" की ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति नहीं है। मौजूदा अस्वच्छ शौचालय यदि कोई हो तो स्वच्छ शौचालय में बदला जाना चाहिए तथा लक्षित लाभार्थियों के लिए प्रोत्साहन की हिस्सेदारी का मानदण्ड, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण के समरूप होंगे।

6.8 <u>प्राथमिकताः कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी का चयन प्राथमिकता के आधार पर निम्नवत् किया जायेगाः–</u>

6.8.1 वृद्धा पेन्शन/विधवा पेन्शन/विकलांग पेन्शन प्राप्त करने वाले लाभार्थी।

6.8.2 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित गर्भवती एवं धात्री महिलाऐ।

6.8.3 बालिकाओं हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी/बालिका।

7. स्वच्छता सामग्री की उपलब्धताः ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र, उत्पादन केन्द्र तथा स्वयं सहायता समूह

7.1 उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र स्वयं सहायता समूहों/महिला संगठनों/पंचायतों/गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है। कारगर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए निजी उद्यमियों की मदद ली जा सकती है। जिला स्वच्छता समिति जनपद की आवश्यकतानुसार आर.एस.एम./पी.सी. के केन्द्रों की स्थापना का निर्णय ले सकती है।

7.2 ग्रामीण स्वच्छता बाजार(आर.एस.एम.) स्वच्छ शौचालय, सोख्ता एवं कम्पोस्ट गड़ढा, वर्मी कम्पोस्ट, वाशिंग प्लेटफार्म, प्रमाणित घरेलू वाटर फिल्टर और अन्य स्वच्छता एवं साफ–सफाई उपकरणों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, हार्डवेयर और डिजाइन के विक्रय केन्द्र है। आर.एस.एम. की मौजूदगी का उद्देश्य लाभार्थी के निवास स्थान और आस–पास स्वच्छ पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के शौचालय एवं अन्य स्वच्छता सामगियों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, सेवा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। आर.एस.एम. को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लाभार्थियों की पसंद के विभिन्न प्रकार के पैन युक्तिसंगत दरों पर उपलब्ध हों। आर.एस.एम. में अनिवार्य रूप से वैसी चीजे उपलब्ध होनी चाहिए जो स्वच्छता पैकेज के हिस्से के रूप में अपेक्षित है। यह सामाजिक उद्देश्यों वाला वाणिज्यिक उद्यम है।

7.3 उत्पादन केन्द्र ग्रामीण उपयोग के लिए उपयुक्त स्थानीय मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर किफायती संस्ती स्वच्छता सामग्री के निर्माण करने के साधन हैं। राज्य एवं जनपदों को यह सुनिश्चित करना है कि निगरानी तंत्र की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि निर्मित एवं बिक्री की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत स्वीकार्य स्तर(Standard) की है। वे आर.एस.एम. से स्वतंत्र अथवा उनका हिस्सा हो सकती हैं।

7.4 संयुक्त अनुश्रवण हेतु जिला स्वच्छता समिति एवं उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र स्वयं सहायता समूहों/महिला संगठनों/पंचायतों/गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि के मध्य मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टैडिंग हस्ताक्षरित किया जायेगा। आर. एस.एम. के पास उनके उत्पादो के गुणवत्ता प्रमाणीकरण की पद्धति और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों एवं प्रेरकों का समूह होना चाहिए ।

7.5 जिले के पास उपलब्ध परिक्रामी निधि में से आर0एस0एम0/पी0सी0 के स्थापना हेतु जनपद स्तर से रू. 5.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है, आर. एस.एम./पी.सी. के लिए परिक्रामी निधि से दिये गये ऋण, ऋण प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष के बाद 12–18 किस्तों में वसूले जाएंगे।

8. जिले में परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) का प्रावधान

परिक्रामी निधि उन सहकारी समितियों अथवा स्वयं सहायता समूहों को दी जा सकती है, जिनकी विश्वसनीयता बनी हुई हो ताकि वे अपने सदस्यों को सस्ता वित्त पोषण उपलब्ध करा सके। इस निधि से दिए गए ऋण का भुगतान 12 से 18 किस्तों में किया जाएगा। परियोजनाओं को परिक्रामी निधि स्वीकृत करने के लिए अन्य निबंधन और शर्ते निर्धारित करने की छूट होगी। यह परिक्रामी निधि उन ए.पी. एल. परिवारों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्हें दिशा–निर्देशों के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए शामिल नहीं किया गया है। जिला परियोजना के 5.00 प्रतिशत जो अधिकतम रू. 150.00 लाख रूपये तक होगा, का इस्तेमाल परिक्रामी निधि के रूप में किया जा सकता है। परिक्रामी निधि को केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है।

9. सामुदायिक स्वच्छता परिसर

9.1 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में उपयुक्त संख्या में शौचालय सीट, स्नान घर, कपड़े आदि धोने के लिए चबूतरा, वाशबेसिन इत्यादि शामिल हैं, को गांव में ऐसी पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना है और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण केवल तभी करना है। ऐसी परिसरों का रख रखाव बहुत आवश्यक है जिसके लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रयोक्ता परिवारों को इसकी साफ–सफाई और रख रखाव के लिए उपयुक्त मासिक प्रयोक्ता प्रभार देने के लिए कहा जा सकता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे परिसर उन सार्वजनिक स्थानों, बाजारों बस स्टेंडिंग इत्यादि में भी बनाए जा सकते हैं जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। समुदाय परिसर का समुचित रख रखाव सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रखरखाव दिशा–निर्देश किए जाने चाहिए।

9.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्कीम सेक्सनिंग कमेटी के द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। इसकी अनुमानित लागत रू. 2.00 लाख होगी जिसमें केन्द्रांश रू. 1.20 लाख, राज्यांश रू. 0.60 लाख तथा पंचायत अंश रू. 0.20 लाख होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा भी सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा सकता है।

10. ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन

10.1 ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठ प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर किसी ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में परिवार की संख्या के आधार पर किया जायेगा जोकि 150 परिवार वाली ग्राम पंचायत को अधिकतम रू. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायत को अधिकतम रू. 12 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायत को अधिकतम रू. 15 लाख तथा 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायत को अधिकतम रू. 20 लाख तक देय होगा।

10.2 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत फण्डिंग पैटर्न में केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत है।

10.3 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अन्तर्गत घर घर से कूड़े को एकत्र कर अलग–अलग करके निष्पादन करना, कम्पोस्टिंग, तथ बायोगैस संयत्र, नाडेप गड्ढ़े, वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का निर्माण किया जा सकता है। माहवारी अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु स्कूलों में इनसीनेरेटर का निर्माण, सामुदायिक महिला काम्प्लेक्स, पब्लिक हेल्थ सेन्टर व अन्य स्थानों से कुड़े करकट के निपटाने की व्यवस्था की जाय।

10.4 तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत बेकार पानी के अधिकतम पुनः उपयोग से सम्बन्धित कम लागत व न्यूनतम रख रखाव वाली तकनीकी का उपयोग किया जाय। बेकार जल एकत्र करने हेतु कम लागत की नाली/स्माल बोर सिस्टम तथा सोक्ता गडढे आदि का निर्माण कराया जा सकता है।

10.5 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी लिया जा सकता है:–

(i). अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब(डब्ल्यूएसपी) प्रौद्योगिकी

(ii). डकबीट आधारित गंदा जल शोधन

(iii). फाइटोरिड प्रौद्योगिकी(नीरी द्वारा विकसित)

(iv). अवायुजीवी(अनोरोबिक) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन

10.6 प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एस.एल.डब्लू.एम. की परियोजनाएं वार्षिक जिला योजना का भाग होनी चाहिए। वार्षिक जिला योजना को स्टेट लेवल स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी(एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

11. प्रशासनिक प्रभार

11.1 प्रशासनिक प्रभारों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के निष्पादन के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किए गए स्टाफ के वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराए पर लिए गए वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन पर खर्च की गई धनराशि शामिल होगी।

11.2 परियोजना को पेशेवर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए प्रचार–प्रसार, मानव संसाधन विकास, स्कूल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन तथा निगरानी क्षेत्र के विशेषज्ञ/परामर्शदाता परियोजना अवधि के लिए राज्य एवं मण्डल स्तर पर नियुक्त किये जायेंगे। परामर्शदाताओं की फीस का भुगतान प्रशासनिक प्रभारों से किया जाएगा। अनुश्रवण हेतु यात्रा भत्ता व्यय आदि का भुगतान इसी मद से किया जायेगा।

11.3 परियोजना के तहत निर्धारित किये जाने वाले प्रशासनिक घटक कुल परिव्यय का 2.00 प्रतिशत होगा, जिसमें 1.80 प्रतिशत जनपद (0.20 प्रतिशत मण्डल प्रकोष्ठ सहित) तथा 0.20 प्रतिशत राज्य स्तर से व्यय किया जायेगा, जिसमें केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत होगा।

कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य, मण्डल, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर गठित प्रकोष्ठ के अधीन कन्सलटेन्ट/कर्मी की तैनाती परियोजना अवधि तक के लिए होगी।

11.4 राज्य स्तर पर राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई(एस.एस.पी.एम.यू.) का गठन किया जायेगा तथा निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 पदेन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश होंगे तथा उनके नियंत्रणाधीन राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई(एस.एस.पी.एम.यू.) कार्य करेगी, जिसका ढॉचा निम्नवत् होगाः–

- स्टेट कोआर्डिनेटर/स्टेट नोडल आफिसर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) –शासन द्वारा नामित पंचायतीराज विभाग का अधिकारी

कन्सल्टेन्ट

- आई0ई0सी0 – 1
- एच0आर0डी0/क्षमता संवर्धन – 1
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन – 1
- एस0एल0डब्लू0एम0 – 1
- एम0आई0एस0 – 1
- लेखाकार – 1
- योजना सहायक – 1
- डाटा इन्ट्री आपरेटर – 4

राज्य स्तर पर तैनात कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जायेगा। पूर्व में राज्य स्तर कार्यरत स्टेट कोआर्डिनेटर अब स्टेट कन्सलटेन्ट कहे जायेंगे।

11.5 मण्डल स्तर पर मण्डलीय स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई(एम.एस.पी.एम.यू.) गठित की जायेगी, जिसमें मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) के नियंत्रण में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अनुश्रवण, प्रचार प्रसार प्रशिक्षणों के आयोजन, जनपदों में क्षेत्र भ्रमण कर सहयोग प्रदान करने तथा निरन्तर निदेशालय को रिपोर्ट भेजने हेतु निम्नवत् कन्सलटेन्ट्स की तैनाती की जायेगी:

कन्सल्टेन्ट –

- आई0ई0सी0 / एच0आर0डी0 / क्षमता संवर्धन – 1
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन – 1
- डाटा इन्ट्री आपरेटर – 1

उक्त कन्सलटेन्ट / कर्मी उपनिदेशक(पंचायत) के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य / जनपद कन्सलटेन्ट का सहयोग प्रदान करेंगे।

मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) हेतु गठित प्रकोष्ठ पर होने वाले व्यय हेतु जनपदों की प्रशासनिक मद की धनराशि (1.80 प्रतिशत) में से 0.20 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर रोक कर मण्डलीय स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई को सीधे राज्य स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।

11.6 जनपद स्तर पर जिला स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई0(डी.एस.पी.एम.यू.) गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:–

- जिला समन्वयक(स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)–सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी(पदेन)
- सहायक जिला समन्वयक(तकनीकी)एस.बी.एम.(जी)–सम्बन्धित जनपदों के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी / सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) (पदेन)

कन्सल्टेन्ट

- आई0ई0सी0 / एच0आर0डी0 / क्षमता संवर्धन– 1
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन / एम0आई0एस0 – 1
- एस0एल0डब्लू0एम0 – 1
- लेखाकार / योजना सहायक – 1
- डाटा इन्ट्री आपरेटर – 2

जनपद स्तर पर तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी, पदेन जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी / सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी(तकनीकी) पदेन, सहायक जिला समन्वयक(तकनीकी) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) होंगे। उक्त कन्सलटेन्ट / कर्मी जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य / मण्डल कन्सलटेन्ट को सहयोग प्रदान करेंगे। पूर्व में जनपदों में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक अब जिला कन्सलटेन्ट कहे जायेंगे।

जनपद स्तर पर गठित प्रकोष्ठ जिला स्वच्छता प्रकोष्ठ पर होने वाले व्यय हेतु जनपदों की प्रशासनिक मद में कुल उपलब्ध धनराशि 1.60 प्रतिशत से किया जायेगा।

11.7 विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई(बी.एस.पी.एम.यू.) गठित की जायेगी जिसमें सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)(पदेन) ब्लाक सैनीटेशन आफिसर होंगे जिसमें निम्नवत् खण्ड प्रेरक तैनात किये जायेंगे:

खण्ड प्रेरक(Block Motivator)

- सोशल मोबलाइजेशन – 1
- अनुश्रवण एंव मूल्यांकन – 1
- डाटा इन्ट्री आपरेटर – 1

उक्त प्रेरक व डाटा इन्ट्री आपरेटर जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में तथा विकास खण्ड स्तर पर तैनात कन्सलटेन्ट, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा जिला कन्सलटेन्ट के मागदर्शन में कार्य करेंगे।

विकास स्तर पर कार्यरत खण्ड व डाटा इन्ट्री आपरेटर, स्टेशनरी, इंटरनेट व्यय, कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि पर होने वाले व्यय धनराशि का भुगतान जनपदों की प्रशासनिक मद में कुल उपलब्ध धनराशि 1.60 प्रतिशत से किया जायेगा।

प्रत्येक ब्लाक को सहायक साजो–सामान के साथ एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक ब्लाक को मासिक प्रभारों सहित इंटरनेट संयोजन/वारलेस मोडम/डौंगल की व्यवस्था की जायेगी।

जिला स्वच्छता समिति द्वारा ब्लाक स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी.एस.पी.एम.यू.) को विकास खण्ड स्तर पर होने वाले समस्त प्रशासनिक गतिविधियों हेतु त्रैमासिक अग्रिम धनराशि बी.एस.पी.एम.यू. के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। बी.एस.पी.एम.यू. का पृथक से खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर द्वारा किया जायेगा, इस खाते में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य धनराशि नहीं रखी जायेगी। बी.एस.पी.एम.यू. द्वारा प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त उपभोग प्रमाण–पत्र एवं व्यय विवरण व बिल जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव, जिला स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जायेगा तथा फोटोकापी विकास खण्ड स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

उपरोक्त समस्त कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों के मानदेय एवं यात्रा भत्तों का निर्धारण राज्य अजीविका मिशन में दिये जा रहे मानदेय के आधार पर किया जा सकता है, जिसका निर्णय कार्यकारी समिति, स्टेट सैनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा।

11.8 प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय विशेष रूप से प्रतिबंधित है–

- वाहनों की खरीद
- भूमि और भवनों की खरीद
- औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण
- कार्यालय उपकरण की खरीद
- किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय
- उपहार और दान पर व्यय
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनसशि को अन्य योजनाओं में हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

12. स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)एस0एस0बी0एम0(जी0)/स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0डब्लू0एम0)

12.1 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि का काम देखने वाले राज्य के विभागों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने की दशा में एक कदम के रूप में राज्य में एक राज्य स्वच्छ भारत मिशन बनाया जायेगा, जो पंजीकृत सोसाइटी होगा।

12.2 पंचायतीराज विभाग में प्रदेश स्तर पर पूर्व में गठित स्टेट सैनीटेशन मिशन ही अब स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) कहलायेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित समितियां गठित की गयी है।

12.3 शीर्ष समिति (Apex Committee):

इस समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन होगें और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज इस समिति के नोडल सचिव एवं संयोजक होंगे और यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी:–

क्र. सं.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव
4	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री

12.4 कार्यकारी समिति(Excutive Committee)

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होगें यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कियान्वयन की निगरानी करेंगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल–मेल कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। राज्य स्तर पर खाते का संचालन निदेशक/अध्यक्ष,

कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन तथा नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/सदस्य सचिव, स्टेट सैनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा–

क्र. सं.	पदनाम	कार्यकारी समिति में स्तर
1	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	अपर आयुक्त कार्यक्रम, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	अपर निदेशक, मेडिकल केयर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
9	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10	राज्य नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
11	अध्यक्ष द्वारा नामित स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ	विशेष आमंत्री

13 गवर्निंग बाडी (Governing Body)

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गवर्निंग बाडी होगी, जो कार्यक्रम के संबंध में सुझाव एवं मार्गदर्शन शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति को समय–समय पर देगी।

इस समिति के अध्यक्ष, मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 होंगे, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे और यह समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी:–

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
1	मा0 मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
4	नोडल आफिसर/स्टेट कोआर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	सदस्य
5	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमंत्री

14. जिला स्वच्छता मिशन

यह मिशन राज्य स्वच्छता मिशन से सम्बद्ध होगा, इसके निम्नलिखित अंग होगें:–

14.1 गवर्निंग बाडी:

जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष होंगे। गवर्निंग बाडी वर्ष में त्रैमासिक बैठक करेगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

क्र.	पदनाम	गवर्निंग बाडी में स्तर
1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3	माननीय सांसद (जनपद के समस्त)	सदस्य
4	माननीय विधायकगण(जनपद के समस्त)	सदस्य
5	माननीय सदस्य विधान परिषद (जनपद के समस्त)	सदस्य
6	जिला पंचायत की स्थायी समिति के समस्त अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता जल निगम	सदस्य
13	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
14	जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक

14.2 जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी

जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता समिति जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी कहलायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी। इस समिति का कार्य जिला स्तर पर अन्य लाइन विभागों के साथ ताल मेल के साथ जिले मे स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना को कार्यान्वयन करना होगा। यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर होने वाली समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैंनेजमेन्ट कमेटी के अनुमोदन से किया जायेगा, जिसमें जनपद स्तर पर खाते का संचालन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति अथवा उनके द्वारा अधिकृत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया, पी.ओ.एल. आदि का अनुमोदन समिति से लेने के

उपरान्त इनका भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के एकल बैंक खाता संचालन द्वारा किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
6	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
10	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
11	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
12	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
13	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन)	सदस्य

14.3 विकास खण्ड मैनेजमेन्ट यूनिट

विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम पर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) उत्तरदायी होंगे तथा सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) ब्लाक सैनीटेशन आफिसर कहें जायेंगे। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के सहयोग करने हेतु दो खण्ड प्रेरक तथा एक डाटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति मानदेय के आधार पर की जायेगी।

15 स्टेट लेविल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी

राज्य स्तर पर स्टेट सैनीटेशन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कार्यकारी समिति ही स्टेट लेविल स्कीम सेंक्सनिंग कमेटी होगी। इस समिति में तकनीकी मार्गदर्शक सुझाव हेतु तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिसमें भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के एक प्रतिनिधि भी होंगे।

उपरोक्त समिति का कार्य जनपदों से प्राप्त ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता व अन्य प्रस्तावों का तकनीकी जांच कर स्वीकृति प्रदान करना होगा।

16 .ग्राम पंचायत स्तर पर जल प्रबन्धन समिति/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति

16.1 ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का कियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समस्त समितियां अपने कार्यक्रम में स्वच्छता कार्यो की प्राथमिकता देंगे।

16.2 ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत खोले गये खाता ग्राम निधि–6 का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के उपयोगार्थ किया जायेगा। समय–समय पर होने वाले सोशल आडिट के अन्तर्गत उक्त खाते का आडिट किया जायेगा।

16.3 ग्राम पंचायत एवं जल प्रबन्धन समिति/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति अपनी ग्राम पंचायत की खुले में शौच मुक्त करने हेतु कार्य करेगी।

16.4 राज्य स्तर पर खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों को पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।

17. स्वच्छता दूत

ग्राम पंचायत स्तर पर निरन्तर समुदाय से सम्पर्क करने हेतु स्वच्छता दूत आवश्यक रूप से रखा जाय।

(i)–वर्तमान में ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारी से स्वच्छता दूत का कार्य कराया जाय।

(ii)–जिन जनपदों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है वहां ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य कर्मी जैसे रोजगार सेवक, आशा आदि से कार्य लिया जा सकता है।

(iii)–जिला स्वच्छता समिति जनपद स्तर आवश्यकतानुसार अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती हैं।

- स्वच्छता दूत का कार्य ग्राम पंचायत में समुदाय को जागरूक कर शौचालय की मांग पैदा करना तथा गुणवत्ता परक निर्माण को सहयोग करना होगा।
- ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करना तथा प्रगति से जनपद को अवगत कराना होगा।
- स्वच्छता दूत द्वारा परिवार को जागरूक कर खुले में शौच से मुक्त करने पर प्रति परिवार रू. 150/–मानदेय दिया जायेगा। यह धनराशि दो चरणों में दी जायेगी। प्रथम चरण में मांग सृजन एवं निर्माण उपरान्त रू. 75/– तथा लाभार्थी द्वारा निरन्तर छः माह तक शौचालय प्रयोग करने की स्थिति में द्वितीय चरण में रू. 75/–दिया जायेगा। यह धनराशि जनपद के आई0ई0सी0 मद से व्यय की जायेगी।

18. पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

18.1 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तद्नुसार स्वच्छ भारत मिशन के कियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतों का है। कार्यक्रम का कियान्वयन सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। वे शौचालय के निर्माण के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करेगी और अपशिष्ठों का सुरक्षित निपटान कर पर्यावरण की स्वच्छ भी बनाये रखेगी।

18.2 पंचायती राज संस्थायें पारस्परिक आई0ई0सी0 तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकती है।

18.3 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत बनाये गये सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का रखरखाव पंचायतों/स्वैच्छिक संगठनों/परोपकारी संगठनों द्वारा किया जायेगा।

18.4 जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं ग्राम पंचायतें स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यो का अनुश्रवण करेंगी। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम

पंचायतों द्वारा प्रत्येक छः माह में एक बार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा अपनी बैठक कर ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाने का प्रस्ताव पारित करेगी।

19. समुदाय आधारित संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों एवं सहायता समूहों/सहयोगी संस्थाओं की भूमिका

समुदाय आधारित संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/सहयोगी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका उपयोग जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने में किया जा सकता है। कार्यकारी समिति, राज्य स्वच्छता मिशन, विषय विशेषज्ञ टीम का गठन कर पृथक से चयन एवं कार्यो के संबंध में निर्णय लेगी।

20. कारपोरेट/पी0एस0यू0/सी0एस0आर0 की भूमिका

राज्य/जनपदों में कार्यरत कारपोरेट/पी0एस0यू0 कम्पनी से सम्पर्क कर स्वच्छता के कार्य

में सहयोग प्रदान कराया जा सकता है।

20.1—कारपोरेट/पी0एस0यू0 द्वारा आई0ई0सी0 एवं एच0आर0डी0 के माध्यम से स्वच्छता विषय के मुददों पर कार्य कराया जा सकता है।

20.2—ग्रामीण क्षेत्र के कारगर स्वच्छता सुविधाओं/स्वच्छता पार्को के माडल विकसित किये जा सकते हैं।

20.3—स्वच्छता प्रदर्शिनी/स्वच्छता मेलो का आयोजन किया जा सकता है।

20.4—छात्र—छात्राओं को स्वच्छता की जानकारी प्रदान करने हेतु क्षेत्र भ्रमण।

20.5—स्वच्छता सुविधाओं के निर्णय हेतु अतिरिक्त मानदेय सामग्री आदि प्रदान करना।

20.6—आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।

20.7—ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ठों के स्थायी प्रबन्ध हेतु तकनीकी विकसित करने में सहयोग।

20.8—ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

20.9—मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार करना।

20.10—ग्राम पंचायत/ग्राम, मजरे को खुले में शौच मुक्त करने हेतु गोद लेना।

21—परियोजना वित्तपोषण (फंडिंग पैटर्न)

क्र. सं.	घटक	एस.बी.एम.(ग्रामीण) परियोजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में निर्धारित राशि	भागीदारी का हिस्सा		
			केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी सामुदायिक अंश
ए	आई0ई0सी0 स्टार्ट अप एक्टीवीटीज और क्षमता संवर्धन	कुल परियोजना लागत का 8% जिसमें कि 3% केन्द्र पर तथा 5% राज्य पर	75%	25%	0%
बी	रिवाल्विंग फण्ड	5% सीमा तक	80%	20%	0%
सी	(1) व्यक्तिगत शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु आवश्यक वास्तविक धनराशि	रू0—9,000 (75%)	रू0—3,000 (25%)	0%
डी	(2) सामुदायिक शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु आवश्यक वास्तविक धनराशि	60%	30%	10%

क. सं.	घटक	एस.बी.एम.(ग्रामीण) परियोजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में निर्धारित राशि	भागीदारी का हिस्सा		
			केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी सामुदायिक अंश
ई	प्रशासनिक चार्ज	कुल परियोजना लागत का 2% तक	75%	25%	0%
एफ	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु	भारत सरकार द्वारा निधारित धनराशि परिवार की संख्या के आधार पर	75%	25%	0%

22.वार्षिक कार्ययोजना(ए.आई.पी.)

22.1 वार्षिक कार्ययोजना का उददेश्य कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा प्रदान करना है।

22.2 सुनिश्चित गतिविधियों की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक एवं तिमाही निगरानी के लिए आधार उपलब्ध कराना।

22.3 ए0आई0पी0 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्यों की प्रगति की गणना भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जायेगा।

ए0आई0पी0 बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे:–

1–पिछले वित्तीय वर्ष लक्ष्यों की तुलना में प्रगति।

2–अन्तर के कारण।

3–आई0ई0सी0 की विस्तुत कार्ययोजना ट्रिगरिंग एवं क्षमता संवर्धन गतिविधियां जो वित्तीय वर्ष के अनिवार्य रूप से कियान्वित की जानी है।

4–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की समस्त गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण समय सीमा/जनपद स्तरीय कार्ययोजना संकलित की जायेगी।

5–मासिक त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण कर उसके सापेक्ष मासिक, त्रैमासिक अनुश्रवण किया जायेगा।

6–योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का स्थायित्व सुनिश्चित करने की योजना तैयार करना।

7–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना।

8–जनपद में किये गये अच्छे कार्यो सफलता की कहानियों एवं बेहतर पद्धति जनपद, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्ययोजना बनाये। राज्य स्तर पर जनपदों से प्राप्त कार्ययोजना को संकलित किया जायेगा।

23. निधियों की रिलीज ए.आई.पी.–प्रथम किश्त

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत निधियों राज्य सरकार को वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा 15 दिन के अन्दर धनराशि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) को दी जायेगी। 15 दिन से अधिक धनराशि रोकने पर 12.00 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की अदायगी की जायेगी।

23.1 द्वितीय किश्त निम्नलिखित शर्तो के पूर्ण होने पर निर्गत की जायेगी:–

(i)-निर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में मासिक/तिमाही प्रगति की उलब्धियों का विवरण।

(ii)-केंद्रीय अंश के रिलीज के 15 दिनों के भीतर एस.एस.एम. के खाते में आनुपातिक राज्य अंशदान की रिलीज हेतु राज्य की वचनबद्धता।

(iii)-एस.एस.एम. में उपलब्ध निधियों की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अर्थात अवशेष, वर्ष के दौरान एस.बी.एम.(ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान मांगों की प्रथम किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियां तथा उन पर अर्जित ब्याज, केन्द्रीय और राज्य अंश पर अलग–अलग।

(iv)-पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखापरीक्षा विवरणों का प्रस्तुतीकरण।

(v)-पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए शीर्ष समिति के सदस्य सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में केन्द्र और राज्य अंशदान के उपयोग प्रमाण–पत्रों का अलग से प्रस्तुतीकरण।

(vi)-कोई अन्य शर्त जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की आगे कोई रिलीज, व्यय, उपलब्ध निधियों और आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण जैसा कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षित हो, में हुई प्रगति पर आधारित होगी।

24. राज्य स्तर से जिला स्तर को रिलीज

राज्य/केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिला कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियों को समान राज्य अंशदान के साथ–साथ प्राप्त केन्द्रीय अनुदानों को रिलीज करेंगे, अन्यथा प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से कार्यान्वयन संस्थाओं को निधियों के मूल धनराशि के साथ दंडिक ब्याज का अन्तरण भी आवश्यक होगा।

25. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत जारी निधियों पर अर्जित ब्याज

स्वच्छ भारत मिशन की निधियां (केंद्र और राज्य) बैंक खाते में ही रखी जाय। इस खाते में पारिवारिक/लाभार्थी अंशदान को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को एसबीएम संसाधन के भाग के रूप में समझा जाएगा। जिला कार्यान्वयन एजेंसी को अनुवर्ती किस्तों के लिए दावे/दावों के साथ–साथ एनबीए निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा तथा इसे उपयोग प्रमाण–पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

26. निरीक्षण

जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा तथा समिति द्वारा समय–समय पर जनपद स्तर से टीम गठित कर निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, लाभार्थी का चयन तथा निर्माण शौचालयों की प्रयोग की स्थिति व अन्य गतिविधियों का निरीक्षण व सत्यापन किया जायेगा। राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से अनुश्रवण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। निरीक्षण के समय यह देखा जाना एवं सुनिश्चित किया जाना होगा कि निर्माण कार्य मानक एवं

विशिष्टयों के अनुसार किया गया है, निर्माण कार्य ग्राम पंचायत/लाभार्थी द्वारा कराया गया है, शौचालय द्वारा पेयजल स्रोत दूषित नहीं हो रहें हैं, कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित पात्रता श्रेणी के लाभार्थियों का ही चयन किया गया है एवं निर्मित शौचालयों का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। निरीक्षण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। निर्मित शौचालयों का शतप्रतिशत निरीक्षण व स्थलीय सत्यापन सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर, सहायत जिला पंचायत राज अधिकारी(तकनीकी) द्वारा 20% तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10% एवं प्रत्येक जनपद के कम से कम 05 ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों का निरीक्षण व स्थलीय सत्यापन मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) द्वारा किया जायेगा। पंचायतीराज निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर तैनात खण्ड प्रेरकों द्वारा 50% तथा जनपद स्तर पर तैनात जिला कन्सलटेन्ट द्वारा 25% मण्डल स्तरीय कन्सलटेन्ट द्वारा 5% तथा निदेशालय स्तर पर कार्यरत राज्य कन्सलटेन्ट द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

अनुश्रवण फ्रेमवर्क के निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायः–

(i)-आई0ई0सी0/आई0पी0सी0/ट्रिगरिंग गतिविधियों का आयोजन व्यवहार परिवर्तन हेतु किया गया है।

(ii)-सूचित किये गये शौचालयों का निरीक्षण कराया गया है।

(iii)-निर्मित शौचालयों का उपयोग हो रहा है।

(iv)- खुले में शौचमुक्त समुदाय बनाया गया है।

27. रिपोर्टिंग विधि, मासिक समीक्षा एवं अनुश्रवण

ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम की नियमित समीक्षा ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी तथा उच्च स्तर पर निराकरण वाले बिन्दुओं पर सुझाव व संस्तुतियाँ सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर की उपलब्ध करायी जायेंगी, जो परीक्षण कर जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) को उपलब्ध करायी जायेंगी।

योजनान्तर्गत मासिक प्रगति विवरण ग्राम पंचायतों द्वारा सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) को उपलब्ध करायी जायेगी, विकास खण्ड द्वारा संकलित सूचना जनपद स्तर पर उपलब्ध करायी जायेंगी। जनपद द्वारा संकलित सूचना प्रत्येक माह की 4 तारीख तक मण्डलीय कार्यालय एवं निदेशालय को उपलब्ध करायी जायी जायेगी। मण्डलीय कार्यालय द्वारा सकलित सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संकलित कर निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही साथ कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भारत सरकार की वेबसाइट पर भी संबंधित स्तर से समयान्तर्गत अपलोड की जायेगी।

कार्यक्रम की प्रत्येक माह जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जायेगी।

28. वार्षिक अनुश्रवण सर्वेक्षण–केन्द्र सरकार द्वारा तटस्थ संस्था/एजेन्सी के द्वारा सर्वेक्षण कराया जायेगा।

29. मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम रिपोर्ट

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित किया है, जिसके अन्तर्गत लाभार्थीवार ग्राम पंचायतवार आंकड़े डाले गये हैं।

वर्ष 2012–13 में हुए बेसलाइन सर्वे की फीडिंग करायी जानी है। प्रत्येक वर्ष मार्च एवं अप्रैल में बेसलाइन इन्ट्री अपडेट की जा सकेगी। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह आनलाइन पर फीड की जानी है।

30. मूल्यांकन

प्रदेश द्वारा आयोजित किए गए इन मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टो की प्रतियॉ भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए। इन मूल्यांकन अध्ययनों में की गई टिप्पणियों तथा भारत सरकार द्वारा अथवा उनकी ओर से कराए गए समवरूवर्ती मूल्यांकन के आधार पर भी राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे अध्ययनो की लागत एसबीएम के प्रशासिनक प्रभार घटक से वसूली जा सकती है।

एसबीएम(जी) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा करने हेतु संस्थाओं से समय–समय पर मूल्यांकन कराया जायेगा।

31. कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र

निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सचिव, ग्राम पंचायत तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर सहायत विकास अधिकारी(पंचायत)/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायत विकास अधिकारी(पंचायत) /ब्लाक सैनीटेशन आफिसर द्वारा निर्मित कार्यो का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने पर उसकी गुणवत्ता की जांच कर निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा। कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र की तीन प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। एक प्रति ग्राम पंचायत में, एक प्रति क्षेत्र पंचायत कार्यालय में तथा एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेंगी। धनराशि का पूर्ण उपभोग कर लिये जाने के उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से निर्धारित प्रारूप पर सहायत विकास अधिकारी(पंचायत)/ब्लाक सैनीटेशन आफिसर को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर विकास खण्ड का संकलित उपभोग प्रमाण–पत्र सहायत विकास अधिकारी(पंचायत)/ ब्लाक सैनीटेशन आफिसर द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी/ सदस्य सचिव, जिला स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद स्तर का संकलित उपभोग प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा।

32. वार्षिक लेखापरीक्षा

वार्षिक लेखा परीक्षा समस्त आडिट की आवश्यकता भारत सरकार तथा सी.ए.जी. द्वारा समय समय पर की जायेगी। स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस.एस.एम.) यह सुनिश्चित करेगा कि लेखों की लेखापरीक्षा भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की 6 महीनें की अवधि के भीतर सी.ए.जी. द्वारा अनुमोदित पैनल से चयनित से सनदी लेखाकार (चाटर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा जनपद एवं

राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा कराया जायेगा और यह लेखा परीक्षा लेखों का विवरण राज्य स्तर से भारत सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित प्रक्रिया के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग कराते हुए समय से लक्ष्यों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें तथा वर्ष 2019 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनायें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,

संख्याः 195(1)/33–3–2015 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, माननीय मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त, अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
9– महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त सदस्य, शीर्ष समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।
11– समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
14– समस्त सदस्य, जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, उत्तर प्रदेश।
16– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
17– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4/राज्य योजना आयोग–1/2
18– सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली।
19– संयुक्त सचिव स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।
20– निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव